न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 204/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/263

प्रार्थीनीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.स्वरूप कंवर पुत्री देवीसिंह पत्नि कालूसिंह जाति राजपूत निवासी केनपुरा,ढोला जिला पाली 2.सोहन कंवर पत्नि देवीसिंह जाति राजपूत निवासी 64 सज्जन लीला विहार,नांदड़ी जोधपुर जिला जोधपुर हाल निवास जसोलियो की ढाणी,कालेवा तहसील पाटोदी व जिला जोधपुर		1.कुम्बाराम पुत्र गंगाराम 2.आसूराम पुत्र गंगाराम 3.राहुराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी कुंपलिया तहसील पाटोदी 4.जेठाराम पुत्र रामाराम 5.करनाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी सारणो की बेरी तहसील पाटोदी 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री शम्भूसिंह राजपूत अधिवक्ता प्रार्थीनीगण
2. श्री प्रवीणसिंह राठौड़ अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 से 05
3. विप्रार्थी संख्या 06 अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 25/09/2025

1.संक्षिप्त मे आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम वगताणियो की ढाणी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 582,583 व 867/585 कुल क्षेत्रफल 4.9696 हैक्टयर भूमि अवस्थित है,जिसके प्रार्थीनीगण रिकार्डेड सहखातेदार है। प्रार्थीनी संख्या 01 के पिता व प्रार्थीनी संख्या 02 के पति देवीसिंह ने मूल खसरा संख्या 585 रकबा 130 बीघा भूमि मे से 70 बीघा विप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 30 बीघा विप्रार्थी संख्या 4 व 5 को बेचान दिनांक 26.3.1996 को किया गया था,उक्त बेचानपत्र के अनुरूप तरमीम किए जाने के बजाय उसके विपरीत तरमीम कर दी गई,अशुद्व तरमीम के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद बना रहता है। अतं विवादित आराजी के खसरा संख्या 582,583,867/585 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर नजरी नक्शा परिशिष्ट अ मे दर्शित FKLG मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2. प्रार्थीनीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री प्रवीणसिंह राठौड़ द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर से वकालतनामा मय इकबालीया जवाब पेश कर प्रार्थीनीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थीनीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम वगताणियो की ढाणी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 582,583 व 867/585 कुल क्षेत्रफल 4.9696 हैक्टयर भूमि अवस्थित है,जिसके प्रार्थीनीगण रिकार्डेड सहखातेदार है। प्रार्थीनी संख्या 01 के पिता व प्रार्थीनी संख्या 02 के पति देवीसिंह ने मूल खसरा संख्या 585 रकबा 130 बीघा भूमि मे से 70 बीघा विप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 30 बीघा विप्रार्थी संख्या 4 व 5 को बेचान दिनांक 26.3.1996 को किया गया था,उक्त बेचानपत्र के अनुरूप तरमीम किए जाने के बजाय उसके विपरीत तरमीम कर दी गई,अशुद्व तरमीम के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद बना रहता है,इसके कारण पक्षकारान को अपूरणीय क्षति हो रही है तथा सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही हो रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट के अनुरूप विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

4.विप्रार्थी संख्या 01 से 05 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि की विदयमान तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है। तहसीलदार पाटोदी की मौका रिपोर्ट के अनुरूप तरमीम दुरूस्ती की जाती है,तो विप्रार्थी को आपति नही है।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीनीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार है। प्रार्थीनीगण अधिवक्ता द्वारा बहस मे मुख्य उजर उठाया गया कि विवादित भूमि की मौक़ा कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम को अपास्त कर नजरी नक्शा परिशिष्ट अ मे दर्शितानुसार तरमीम की जावे। विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई थी,मौका रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकन है कि विवादित भूमि की तरमीम मौका कब्जा काश्त के विपरीत हो रखी है तथा प्रस्तावित नक्शा अनुरूप तरमीम किए जाने से मौका एवं रेकर्ड मे एकरूपता हो जावेगी। उभय–पक्षकारान भी प्रस्तावित नक्शा अनुरूप तरमीम करवाने मे सहमत है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीनीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्राथीर्नीगण का आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम—वगताणियो की ढाणी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 582,583 व 867/585 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार पाटोदी के पत्रांक 1445/27.8.2025 के संलग्न मौका फर्द मे दर्शित चित्र संख्या 02 मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। मौका रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा चित्र संख्या 02 आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

25/09/2025

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25/09/2025 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

25/09/2025

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा